

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

शुद्धि पत्र

जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पटना के उपावटनादेश ज्ञापांक 489/आ०प्र० दिनांक 24.05.14 में टंकणीय भूलवश संबंधित कोषगार से वित्तीय वर्ष 2013-14 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, अंकित हो गया है, के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2014-15 पढ़ा जाय।


उपर्युक्त संशोधन के अतिरिक्त उपावटनादेश ज्ञापांक 489/आ०प्र० दिनांक 24.05.14 में को यथावत समझा जाय।

ह०/-

जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-07/14-15 510 /आ०प्र०, दिनांक 29/5/14

- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, पटना सदर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।
प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।


29/5/14
जिला पदाधिकारी,
पटना।